कान्फ्रेंस ऑफ पार्टी : कितनी कारगर..? भारत के दावे और वादे

(क्योटो और पेरिस सम्मेलन के विशेष संदर्भ में)

डॉ अनिल कुमार जैन

अतिथि विद्वान (राजनीति विज्ञान), शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला दमोह, (मध्यप्रदेश) भारत

सारांश

ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन की विश्व व्यापी गंभीर समस्या समाधान के बगैर मूलतः विकसित और विकासशीन देशों के दावों और वादों के राजनैतिक पैतरों में दम घुटती प्रतीत होने लगी है। विश्व बिरादरी में जिस तरीके से यह प्राकृतिक समस्या राजनीतिक मानचित्र पर भीषण भविष्यगामी संकट की ओर मानव के खतरे को लेकर वैज्ञानिकों ने शासकों के सामने प्रकट की उस पर शासकों ने मगरमच्छीय ऑसू तो बहायें, चिंता और चिंतन तो जाहिर किया परंतु राष्ट्रीय हितों के परस्पर टकराने के कारण यह समस्या राजनीति के समुद्र में गोते खाती नजर आ रही है। यही कारण है कि कॉफ्रेन्स ऑफ पार्टी के बेनर तले 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधि 21 बार बैठक कर चुके है लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुॅच सके। इस दिशा में 30 नवम्बर से 11 दिसंबर 2015तक आयोजित कॉफ्रेन्स ऑफ पार्टी का 21 वॉ पेरिस सम्मेलन एक आशा की किरण जरूर कही जा सकती है। जिसमें वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य रखा गया।

COP अर्थात कान्फ्रेंन्स ऑफ पार्टी, जलवायु परिवर्तन से चिंतित देशों की एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो पार्टी की शक्ल और अंदाज में प्रत्येक वर्ष नवम्बर – दिसंबर में लगभग 190 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि एक साथ मिलते है, जिसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन से प्रभावित और अनियंत्रित परिवर्तित जलवायु पर चिंता, चिंतन, दावे–वादे, और आरोप–प्रत्यारोप, कसे जाते है। यथासंभव यह प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कूटनीतिक और राजनीतिक अंदाजे बयां होने के कारण द्वि–पक्षीय राजनैतिक हित साधने से अधिक कुछ भी परिणाम विश्व बिरादरी को नहीं दे पाये। पार्टी शब्द सामान्यतया अपने आप में गंभीर नहीं है यह खुशियों को सांझा करने से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी चिंता है लेकिन कान्फ्रेंन्स के साथ पार्टी शब्द को जोड़ना अपने आप में कोप पर एक सवाल खड़ा करता है?

इतिहास के पृष्ठ

1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। मिशन था जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण के लिये प्रत्येक देश अपने नियम कानून बनाये। जिसकी पुष्टि के लिये 05 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया। जिस तिथि को प्रतिवर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते है। 1992 में ब्राजील की राजनधानी रियो डी जेनेरियो में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि फिर एकत्रित हुए और उन्होंने इस मुद्दें पर भविष्य की कार्ययोजना तैयार की इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन में कोप की उत्पत्ति हुई। जिसमें तय किया गया कि सामूहिक रूप से जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त भी करेंगे और कार्ययोजना पर चर्चा भी? 1995 से 2016 तक कोप के 21 सम्मेलन आयोजित किये जा चुके है। हाल ही में 30 नवम्बर से 11 दिसंबर 2016 तक कोप–21 फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित

किया गया। जिसमें विश्व के 195 देशों ने सिरकत की। यह सम्मेलन इस लिये महत्वपूर्ण है क्यों कि 1997 के क्योंटो प्रोटोकॉल की अवधि 2012 में समाप्त होने के बाद से ही एक नये प्रोटोकॉल की उत्पत्ति पर विश्व की निगाहें टिकी हुई थी जिसको अंजाम इस सम्मेलन मे दिया गया। कोप 21 के पूरे कलेवर को तैयार करने में कोप – 15, 16, 17, 18, 19, 20, और 21 जो कि क्रमशः कोपेनहेगन, कानकन, डरबन, कतर, वारसा, ले बुरगे और पेरिस में आयोजित किये गये महत्वपूर्ण है। क्योटो प्रोटोकाल कोप–3 की देन है। लेकिन अब यह प्रोटोकाल पेरिस प्रोटोकाल में रूपांतरित हो चुका है। जिसपर आगामी 22 अप्रैल 2016 को सदस्य राष्ट्र जिसमें एनेक्स –1 के 55 राष्ट्र शामिल है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर उपस्थित होकर हस्ताक्षर कर प्रोटोकॉल को अनुमोदित करेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कई बहुपयोगी और महत्वपूर्ण संधियॉ देशों की स्वीकृति और अनुमोदन के बीच जो लम्बा अन्तराल होता है उसके काल में काल कलवित हो गई। सीटीबीटी इसका एक अनूठा उदाहरण है। पेरिस प्रोटोकॉल का क्या हश्र होगा ? यह नियति का प्रश्न है।

ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु की आकृति

वायु मंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों के अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके चलते, पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगती है। पृथ्वी के गर्म होने की यही प्रक्रिया हरित गृह प्रभाव कहलाती है। वर्तमान में पृथ्वी को सर्वाधिक खतरा वातावरण एवं पृथ्वी की सतह के तापमान में हो रही वृद्धि से ही है। इस वृद्धि के कारणों में से ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे प्रमुख कारण है। कार्बनडाइआक्साइड, मिथेन, क्लोरोफलोरों कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जैसी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ये उष्मारोधी गैसें पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर एक घना आवरण बना लेती है, जिससे होकर पृथ्वी पर सौर विकिरण आ तो जाते है, परंतु ये गैसे इन्हें वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देतीं। फलस्वरूप पृथ्वी के वायुमंड में तापमान में वृद्धि होती जा रही है। जिसका दृष्प्रभाव मनुष्य के जीवन, जीवन स्तर और रहन सहन से जुड़ी हर चीज पर पड़ रहा है। यही वैश्विक चिंता है और चिंतन का प्रमुख विषय भी। विश्व स्तर पर सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची इस प्रकार है :–

ग्रीन हाउस उत्सर्जित करने वाले शीर्ष दस राष्ट्र

राष्ट्र	कुल उत्सर्जन प्रतिशत में
चीन	25.26
यू एस	14.4
यूरोपीय संघ	10.16
भारत	6.96
रूस	5.36
जापान	3.11
ब्राजील	2.34
इंडोनेशिया	1.76
मैक्सिको	1.67
ईरान	1.65

प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन करने वाले शीर्ष 10 राष्ट्र

राष्ट्र	कुल उत्सर्जन प्रतिशत में
यू एस	19.86
रूस	16.22
जापान	10.54
इरान	9.36
यूरोपीय संघ	8.77
चीन	8.13
मैक्सिको	5.99
ब्राजील	5.10
इंडोनेशिया	3.08
भारत	2.44

स्रोत :– क्रॉनिकल, 2015 नवंबर, वर्ष 25, अंक 4 पृष्ठ 15 से साभार।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चीन विश्व का सर्वाधित कार्बन उत्सर्जक देश है। जबकी इसमें अमेरिका दूसरे क्रम पर। भारत विश्व का चौथा सबसे बडा (यूरोपीय संघ सहित) देश है। यदि यूरोपीय संघ को एक ईकाई के रूप में शामिल नहीं किया जाये तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दृष्टि से अमेरिका प्रथम स्थान पर है वहीं चीन खिसक के छठवें स्थान पर पहुॅच गया। वहीं भारत दसवें स्थान पर।

कोप–3 क्योटो प्रोटोकॉल : चिंता और चिंतन

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन की चिंतन का समुच्चय क्योटो प्रोटोकॉल में देखा जा सकता है। पर चिंता प्रोटोकॉल को व्यवहार में अपानाने को लेकर रही। विकसित देशों के हितों और महात्वाकांक्षओं ने कभी चिंता को जन्म दिया तो कभी विकासशील देशों के निरपराधी बन जाने के रवैये ने चिंता को और बढ़ा दिया। चिंता, चिंतन, तनाव, मतभेद, पक्षपात और राजनैतिक विद्वेषतायें इतनी अधिक कोप सम्मेलनों में सामने आये की क्योटो प्रावधॉनों पर महज चर्चा एक औपचारिकता में सिमट कर रही गयी। कान्फ्रेंन्स कॉन्फ्रेंन्स न होकर एक पार्टी में परिवर्तित हो गयी। जबकी इस प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य स्थिरिकरण और ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली पर मानवजीवन के हानिकारक प्रभावों को रोकना था।

11 दिसम्बर 1997 को 183 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के हस्ताक्षरित यह प्रलेख 16 फरवरी 2005 को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के रूप में लागू किया गया। इस वादे और दावे के साथ कि ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश, 2012 तक सामूहिक उर्त्सन 1990 की तुलना में 5.2 प्रतिशत तक की कम करेंगे। यूरोपीय संघ के लिये 8, अमेरिका 7 जापान 6 तथा रूस के लिए 0 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया और आइसलैंड को 8 प्रतिशत उत्सर्जन में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी।[2] इस संधि में में विकसित देशों को कटौती लक्ष्य निर्धारित किये गये जबकि विकासशील देशों के लिए नहीं। लेकिन इसमें **उत्सर्जन व्यापार**, **स्वैच्छिक विकास तंत्र** और **संयुक्त कियान्वयन** जैसे प्रावधान उल्लेखनीय रहे। जिसमें **कैप एंड ट्रेड** यह प्रशासनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग प्रदूषकों के उत्सर्जन में कटौती को प्राप्त करने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह कंपनियों या अन्य समूहों को उत्सर्जन परमिट जारी करता है। इसकी भूमिका कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें **कार्बन क्रेडिट**, स्थितिशील उन्नयन, पर्यावरण के प्रचलित मापदंड जैसे अनेक मुद्दे और उनके प्रतिवेदन विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद और मतभेद का कारण रहे। यही कारण है कि 2001 में अमेरिका जोकि विश्व का उस समय सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश था उसने क्योटो संधि से किनारा कर लिया। 2002 में जब जोहान्सबर्ग में पर्यावरण और विकास पर मंथन के लिये प्रथ्वी 10 सम्मेलन का आयोजन किया गया उसमें यूरोपीय संघ एवं जापान समेत कई देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की मगर अमेरिका और आस्ट्रेलिया शामिल ही नहीं हुए। 2004 में क्योटो प्रोटोकॉल में रूस की सहमति के बाद विचारधाराओं में बॅटी वैश्विक राजनीति ने क्योटो को एक राजैतिक संघर्ष का मंच बना दिया। 2007 में जहॉ आस्ट्रेलिया ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये तो वहीं 11 दिसंबर 2011 को डरबन में समाप्त हुए कोप 17 के दो दिन बार कनाड़ा ने इस संधि को न मानने की घोषणा इस आरोप के साथ की कि यह संधि जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश उत्सर्जक देशों के इस संधि में शामिल होने के बगैर संधि मात्र एक औपचिरिक दस्तावेज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।[3]

क्योटो प्रावधानों के व्यवहारिक आंकलन के लिये आयोजित प्रत्येक कोप, अपेक्षित परिणामों की बेतहासा निराशा ने कोप पर कई बार सवालियॉ निशान खड़े किये है। उदाहरण के लिये कोप 2000 के हेग सम्मेलन में यूरोपीय संघ समझौते को कड़ाई से लागू करने के पक्ष में था वहीं कनाड़ा, जापान और आस्ट्रेलिया लचीलापन चाहते थे। 2001 के बॉन सम्मेलन में कार्बन डाइआक्साइड पर यूरोपीय संघ का जापान और रूस का समर्थन उल्लेखनीय माना गया। यहॉ कोप के प्रत्येक सम्मेलन का विश्लेषण नहीं किया

जा सकता। मूल रूप से यह सम्मेलन आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढते रहे।

वास्तविकता है कि विर्षली गैसों का उत्सर्जन विकसित देशों के द्वारा किया जाता है अपेक्षाकृत विकसित देश कम उत्सर्जन करते है। चीन और भारत जैसे देश अनेक्स एक की सूची में शामिल नहीं थे। क्योंकि इस सूचि पूर्व औद्योगीकरण के दौरान ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करने वाले देशों को शामिल किया गया था। चीन इसके बाद देश का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना। बावजूद इसके भारत ने प्रत्येक कोप सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की चिंता व्यक्त की और उत्सर्जन में 20 प्रतिशत तक की कटौती करने स्वलक्ष्य पर कायम रहा। चूंकि संधि विकसित देशों पर बाध्यकारी थी अन्य देशों पर नहीं इसने भी विवाद को जन्म दिया। नही होना भी

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन (पेरिस अभिसमय)

कोप–21, 195 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया जिसमें वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। 2012 में क्योटो प्रोटोकाल के समाप्त होने के बाद से नये मसौदे और प्रावधानों के लिये इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। इस सम्मेलन की मुख्य बातें[4] :–

1. वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री संल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य
2. सौ देशों द्वारा मिलकर सोलर एलाएंस बनाया गया जिसमें 180 करोड़ की राशि एकत्रित करने का वचन शामिल है।
3. 2030 तक 31 प्रतिशत कर्बन उत्सर्जन कटौती का वादा।
4. कटौती के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों को होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए गीन क्लाइमेंट फंड तैयार करने पर सहमती तथा 2021 तक इस फंड में 100 अरब डॉलर तक का कलेक्शन सुनिश्चित करना।
5. 22 अप्रैल 2016 को सदस्य राष्ट्रों का संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्यालय में एकत्रिकरण। प्रयोजन संधि पर विधिवत् हस्ताक्षर करना प्रस्तावित।

संशय की संभावना

संधि कानूनी का रूप धारण तभी कर पायेंगी जब इसे 55 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देशों में से 55 देशों की सहमति मिलेगी। यही शर्त क्योटो प्रोटोकॉल के साथ थी। जिसकी इज्जत को अमेरिका द्वारा बेआबरू किये जाने के बाद उसे बचाने का काम रूस ने किया था। क्योंकि कई संधियों का उत्साह और क्लेवर यही खत्म हो जाता है। क्योंकि देश हस्ताक्षर तो कर देते है लेकिन अनुमादन तक आते आते उनका तीसरा नेत्र काम करने लगता है। यह इबारत इस पर हावी ही रहेगी। क्योंकि विकसित देशों की तीसरी ऑख बहुत ही तीक्ष्ण है आसानी से विकासशील देशों को भेद देती है। इस मसौदे में अर्न्तराष्ट्रीय हवाई यात्रा यंत्र को मुद्दा नहीं बनाया गया। जो उठ सकता है। फंड में 100 करोड एकत्रित किये जायेग पर कौन कितना देगा यह निश्चित नहीं किया गया। 100 अरब डालर का कार्बन बजट पर राजनीति गर्मायेंगी। विकासशील देशों के लिए यह हक है विकसित देश इसे मदद की तरह पेश कर राजनीति करेंगे। यह लोगों के जीवन स्तर पर खर्च किया जाता है। एक और बात, कि कार्बन उत्सर्जक विकासशील देश उत्सर्जन नियंत्रण के लिये हरित तकनीकों का प्रयोग जो करेंगे उसका बाजार विकसित देशों में विकसित होगा इससे विकसित देशों को तो फायदा होगा लेकिन विकासशील देशों के लिए आर्थिक बोझ बढेगा। इन उत्पादों को पेटेंट और मुनाफा मुक्त रखा जाना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ। कुल मिला कर देखा जाए तो भेदभाव, वित्तीय सदस्यता, शमन कार्रवाई तथा लाभ, हानि और

क्षति को लेकर गतिरोध और संशय बन सकता है।

भारत के निहितार्थ, स्वार्थ और नासमझी

पेरिस सम्मेलन के प्लेटफार्म पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रास्वॉ ओलांद के साथ अन्राष्ट्रीय सौर संधि पर समझौता कर जलवायु परिवर्तन पर अपने घड़ियाली ऑसू बहाने वाले देशों को अपनी कथनी और करनी में समरूपता का एक उदारहरण प्रस्तुत कर दिया। साथ ही उन्होंने तीन करोड़ अमेरीकी डालर देने का भी वादा किया जिससे इस संधि के लिये विकसित और विकासशील देशों के लिए साथ लाया जा सके। भारत ने दावा किया कि वह 2005 के अपने कार्बन उत्सर्जन की तुलना में 2030 तक 30 से 35 प्रतिशत तक की कटौती करेगा। अपने इस वादे को पूरा करने के लिए भारत अपने बिजली उत्पादन के 40 प्रतिशत हिस्से को कायला जैसे जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के बिना उत्पादित करेगा। 2022 से एक लाख, 75 हजार मेगावाट बिजली सिर्फ अक्षय ऊर्जा से पैदा करेगा। भारत ने 2030 तक 2.5 से तीन अरब टन कार्बन डाइआक्साईड विशोषित करने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत को वन क्षेत्रों के विस्तार करने की प्रबल जरूरत होगी। भारत को ग्रीन क्लाइमेंट फंड से सहायता मिलेगी लेकिन भारत को जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों पर विदेशी फंड मिलना बंद हो जायेगा।

भारत को उत्सर्जन कटौती की जरूरत इसलिये है कि उसके पास विश्व की 7–8 प्रतिशत जैव विविधता व विश्व के 34 बॉयोडाइवर्सिटी हाटस्पॉट में से 04 उसके पास है। से इसे संरक्षण की जरूरत है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सर्वाधिक हिम संकेंद्रण क्षेत्र हिमालयन परिस्थितिकी में है। इसलिए हिमालयन परितंत्र कोा बचाने की जरूरत है। भारतीय महाद्वीप विश्व के सर्वाधिक आपदा संभावित क्षेत्रों में से एक है लगभग 85 प्रतिशत क्षेत्र संकटग्रसत है। इसके अतिरिक्त भारत की 14.2 प्रतिशत आबादी उसकी 7517 किलोमीटर तटीयरेखा पर रहती है वैश्विक तापवृद्धि से सर्वाधिक खतरा समुद्री स्तर के बढ़ने में है। भारत के 1238 द्वीप खतरे में है।

ऐसा नहीं है कि भारत ने इनके संरक्षण के लिये कदम नहीं उठाये? कुछ प्रयास उल्लेखनीय है जिसमें गैर जीवाश्म ईधन को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन जैसी योजनाओं को प्रमुखता से संचालित किया जा रहा है। भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता गैर जीवाष्म स्रोतों यथा, सौर, पवन, जल, बायोमास व परमाणु से प्राप्त करने का वचन दिया है। इसी तरह स्मार्ट स्कीमों पर बल दिया जाना भी एक उल्लेखनीय कदम माना जा सकता है। जिसमें स्मार्ट ग्रिड विकसित किये जा रहे है। स्मार्ट सिटी, गॉव विकसित कर समग्र स्वच्छता पर एक अभियान के तहत प्रयास किये जा रहे जो स्वस्थ्य जीवन और पर्यावरण की समृद्धि के लिये उचित कदम है। इसी तरह अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने की योजनाओं सहित ठोस अपशिष्ट व अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तथा निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के तहत मालभाड़ा गलियारा, आंतरिक जलमार्ग, एम आर टी एस व मेट्रो रेल के द्वारा वाहनों की आवाजाही बढ़ाने के बजाये लोगों की आवाजाही बढ़ायी जा रही है। सरकार ने जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के द्वारा 10 लाख लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का आमंत्रण किया है ये इकाईयॉ शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगी। वनीकरण के लिये प्रयास उल्लेखनीय है।[5]

भारत को चाहिये कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट का मुकाबला करने के लिए जलवायु प्रतिरोधी फसलों और पशुओं के उपयोग को बढ़ावा दें। पॉलिकल्चर (कीट प्रतिरोध का मुकाबला करने हेतु एक ही क्षेत्र में कई

फसलें लगाना) को बढ़ावा देना, ऐसा ही एक सकारात्मक कदम है। किसानों के बीच इन तकनीकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना और तकनीकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना और उनमें जागरूकता फैलाना आवश्यक है। परिवहन साधन में सुधार करना ताकि बाजार तक किसानों की पहुंच आसान हो सके।

प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सुरक्षात्मक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो और आपदा में जो भी नुकसान हो उसकी यथासंभव भरपाई की जाए ताकि उन्हें गरीबी के दुष्चक्र में फंसने से बचाया जा सके। जैसे जल निकासी व्यवस्था को सही करना ताकि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से बचा जा सके। बाढ की समस्या से निपटने के लिए लोगों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना ताकि वे अपने घरों का निर्माण मजबूत तरीके से कर सकें जब आपदा के बाद राहत की बात आती है तो सरकारों को चाहिए की वो इससे प्रभावित लोगों की स्थायी नौकरी और आर्थिक सहायता प्रदान करें।

परंतु भारत के पेरिस सम्मेलन में अतिउत्साही कदम से यह भी आशंका पनपती है यह अंतराष्ट्रीय मानक भारत की भू–संस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक विविधता के अनुकूल है या नहीं? समझौते के कारण भारत किन्हीं नई और जटिल बंदिशों में फंस तो नहीं जाएगा? क्यों कि भारत ने 2008 में भी आठ बिन्दुओं अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कचरा प्रबंधन, पानी का कुशलतम उपयोग, हिमालय संरक्षण, हरित भारत, टिकाऊ कृषि व पर्यावरण ज्ञान तंत्र का विकास इत्यादि लेकिन प्रश्न उठता है कि पिछले 07 वर्षों में हम इन पर कितना खरे उतर पाये? और यदि नहीं कर पाये लक्ष्य को पूरा तो क्या कार्बन बजट भारत को मिलेगा? नहीं मिला तो देशव्यापी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पढ़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्बन उत्सर्जन घटाने और अवशोषण बढ़ाने की हरित तकनीकों को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति के इशारे पर नापने के लिए मजबूर हो जाएंगे?[6]

समझौते में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए भारत को आगे बढते हुए खासकर लक्ष्यों की क्रमिक समीक्षा, निगरानी ढांचे तथा पेरि समझौते में उल्लिखित राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीआर के रूप में सुझाए गए शब्द को लेकर सजग रूप से प्रयास करना होग, विशेष रूप से जिस तरह भारत को राष्ट्रीय परिस्थितियों की व्याख्या, वित्तीय प्रवाह, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण या सामर्थय निर्माण की व्याख्या की जाएगी। यह स्पष्ट नहीं है क्यों कि भारत अपनी उच्च जीडीपी के साथ गरीबी में रहने वाले करोड़ों की आबादी वाला देश है। जलवायु परिवर्तन के तीव्र प्रभाव के चलते कमजोरी एवं अनुकूलन के सदर्भ में कठोर निहितार्थ भी है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जलवायु परिर्तन एक वैश्विक चिंता है। जिसका प्रभाव मानव जीवन को प्रभावि करने वाले हर आयाम पर पढ़ रहा है। समाधान और निकारण के लिये वैश्विक सम्मेलन आयोजित किये गये। किये जा रहे और किये जायेंगे। क्योटो और पेरिस सम्मेलन तथा प्रोटोकॉल इसके उदाहरण है। लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम इनके क्रियान्वयन की प्रकृति से जुड़े हुए है। क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में समाप्त हो गया उसका स्थान हाल ही में आयोजित पेरिस सम्मेलन ने ले लिया जिसमें भारत सहित अन्य विकसित और विकासशील देशों ने अपने अपने पक्ष दावे और वादे प्रस्तुत किये लेकिन वह कितने सही है यह तो 22 अप्रैल 2016 को ही ज्ञात होगा जब इस संधि का अनुमोदन करने देश संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर एकत्रित होंगे। जिसमें वैश्विक स्तर पर 55 प्रतिशता कार्बन उर्त्जन करने वाले एनेक्स 01 के 55 देशों की भूमिका उल्लेखनीय होगी।

संदर्भ सूची :

1. मेककीन, एरिन, न्यू आक्सफोर्ड अमेरिकल डिक्सनरी, सेकेन्ड एडिशन,2005, मई, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, आइएसबीएन 0195170776 पृ. 26 (इन देशों की संख्या 55 है संधि में अनेक्स 01 सूचि में उल्लेखित है।) 2012 तक अपने 1990 की तलना में सामूहिक उत्सर्जन को 5.2 प्रतिशत तक कम कर लेंगे। यूरोपीय संघ (संघ में 28 संप्रभु देश है। आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया,साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातीविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पौलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन एवं यूकेको, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जोगोविना, मांटीनीग्रो एवं सर्बिया।
2. यूनाईटेड नेशंस एकनायरमेंट प्रोग्राम, 1997–12–11, इंडस्ट्रियल कंट्रीज टू कट ग्रीनहाउस गेस इमिसंस बाय 5.2 प्रतिशत, प्रेस रिलीज, अभिगमन तिथि, 2007–08–06
3. जनसत्ता, नईदिल्ली, सितंबर 13, कनाड़ा के पर्यावरण मंत्री पीटर केंट का बयान। मुख्य पृष्ठ।
4. जनसत्ता, नई दिल्ली, 12,13,14 दिसंबर, 2015, मुख्य पृष्ठ। हिन्दुस्तान समाचार, नव भारत टाइम्स। इत्यादि समाचार पत्रों से साभार।
5. क्रॉनिकल, मासिक पत्रिका, नईदिल्ली, 2015 नवंबर, वर्ष 25, अंक 4 पृ. 14–15
6. क्रॉनिकल, मासिक पत्रिका, नईदिल्ली, 2016 फरवरी, वर्ष 25, अंक 7 पृ. 106–7

RESEARCH CHRONICLER